न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1374/2026
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–91/2026

UPGZ010024762026

सुहैब उर्फ सुहैल पुत्र बुन्दा खा, निवासी–गगन किराना स्टोर, शिव मंदिर के पास, ग्राम–रईसपुर, थाना–मधुबन बापूधाम, गाजियाबाद–––––––––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–61/2026
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद

11.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–61/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से बुन्दा खां पुत्र बजरूद्दीन का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना, एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी दर्शित है वह फर्जी एवं झूठी दर्शायी गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध उक्त में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्त को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारीगण को अनुचित धनराशि न देने के कारण उक्त मुकदमें में संलिप्त किया गया है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियोजन की ओर से आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक अभियुक्त के कब्जे से 01 किलोग्राम 30 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। आवेदक अभियुक्त एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का

विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है, अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस हमराही बल द्वारा आवेदक अभियुक्त के कब्जे से 01 किलोग्राम 30 ग्राम अवैध गांजा बरामद होना दर्शित है। थाना हाजा की ओर से प्रस्तुत आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत मु०अ०सं० 855/2020, थाना–कविनगर, गाजियाबाद सहित मु०अ०सं० 1062/2025, धारा–304(2) भा०न्या०सं०, थाना–इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 1072/2025, धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम व 109(1) भा०न्या०सं०, थाना–इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 480/2020, धारा–392 भा०दं०सं०, थाना–कविनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 496/2020, धारा–379, 392 भा०दं०सं०, थाना–कविनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 672/2020, धारा–392, 411 भा०दं०सं०, थाना–कविनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 882/2025, धारा–303(2), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना–कविनगर, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 635/2025, धारा–304(2), 317(5) भा०न्या०सं०, थाना–साहिबाबाद, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 371/2025, धारा–303(2) भा०न्या०सं०, थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 387/2025, धारा–303(2) भा०दं०सं०, थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 389/2025, धारा–303(2) भा०न्या०सं०, थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद, मु०अ०सं० 299/2025, धारा–3(5), 304(2), 317(2) भा०न्या०सं०, थाना–नंदग्राम, गाजियाबाद व मु०अ०सं० 304/2025, धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम व 109(1) भा०न्या०सं०, थाना–नंदग्राम, गाजियाबाद भी पंजीकृत है। प्रस्तुत मामलों के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सुहैब उर्फ सुहैल की ओर से मु०अ०सं०–61/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–91/2026 निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480